महत्वपूर्ण एवं खास

सरकारी बंगले में ड्यूटी कर रहे सिपाही पर पत्थर से हमला हुआ घायल

रायपुर (आरएनएस)। सरकारी बंगले में सिपाहियों द्वारा ड्यूटी किये जाने के कारण कई बार बाहरी तत्वों द्वारा हमले का शिकार होने की घटनाएं प्रायः घटती रहती है। सिविल लाइन थाने से मिली जानकारी के अनुसार तूफान कुमार आयु 37 वर्ष पिता स्व. युगल महतो अपने साथी आरक्षक भुजवल प्रसाद यादव के साथ ई/8 शासकीय बंगला न्यू शांति नगर सिविल लाइन में गेट पर बंगला ड्यूटी कर रहा था। अज्ञात तत्व द्वारा प्रार्थियों पर पत्थर फैंका गया जिसके चलते तूफान के सिर में पत्थर से चोट लग गई। प्रार्थी द्वारा सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराने पर अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा 336 के तहत मामला कायम किया है।

चाकू लेकर आतंक फैलाने वाला गिरफ्तार

रायपुर, (आरएनएस)। लाकडाउन के बावजूद भी असामाजिक तत्वों द्वारा आये दिन शहर की शांति भंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। कुछ लोगों द्वारा भय का वातारण निर्मित कर शांतिप्रिय लोगों को परेशान किया जाता है। टिकरापारा थाने से मिली जानकारी के अनुसार शेख वारिश आयु 21 वर्ष पिता शेख आबिद निवासी संतोषी नगर द्वारा आम गली जोगी नगर टिकरापारा में आते जाते लोगों को चाकू लहराकर आतंकित कर रहा था। टिकरापारा थाने ने सूचना मिलने पर आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया है।

लॉक डाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों और विद्यार्थियों की शीघ्र वापसी होगी-बघेल

रायपुर, (आरएनएस)। लॉक डाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों और विद्यार्थियों की शीघ्र ही राज्य में वापसी होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दूरभाष पर चर्चा की और उन्हें श्रमिकों और विद्यार्थियों की समस्याओं से अवगत कराया। चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार से इस आशय का विधिवत प्रस्ताव मिलने पर त्वरित निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव आर.पी. मंडल द्वारा केंद्रीय गृह सचिव को इस संबंध में प्रस्ताव भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें आशा है अन्य राज्यों में लॉक डाउन के कारण उपजी परिस्थितियों के कारण कठिनाई में रह रहे सभी छत्तीसगढ़ वसियों की शीघ्र सकुशल वापसी होगी।

पिछले एक हफ्ते से कोरबा में कोरोना का कोई पाजिटिव केस नहीं

कोरबा (आरएनएस)। कोरोना को लेकर पिछले एक हफ्ते से कोरबा जिले के लिए अच्छी खबर हैं। पिछले एक हफ्ते में कोरबा जिले से एम्स रायपुर और मेडिकल कालेज रायपुर भेजे गये कोई भी सेम्पल कोरोना की जांच में पाजिटिव नहीं आया है। पिछले पांच दिनों में हुई जांच में कोरबा जिले के एक हजार 160 सेम्पलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव मिली है इसे मिलाकर जिले में अब तक दो हजार 598 लोगों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए जिले से तीन हजार 327 सेम्पल रायपुर भेजे गये हैं, इनमें से दो हजार 628 सेम्पलों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। केवल 28 लोग ही इस जांच में संक्रमित पाये गये हैं। लगभग 700 सेम्पलों की जांच रिपोर्ट आना बाकी है। दो सेम्पल तकनीकी कारणों से अमान्य किये गए हैं। अब तक कोरबा जिले के 20 कोरोना संक्रमित मरीज ईलाज के बाद ठीक होकर वापस लौट आये हैं। ठीक होने वाले मरीजों में एक कोरबा शहर और बाकी 19 कटघोरा के हैं।

चारामा के जनप्रतिनिधियों ने 1 लाख 11 हजार रूपये किये दान

कांकेर (आरएनएस)। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण तथा जरूरतमंद लोगों के लिए चारामा के जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में 01 लाख 11 हजार 753 रूपये दान किये हैं। दान की राशि दान की राशि जमा करने के लिए कलेक्टर के.एल. चौहान को आज सौंपा गया।

लॉक डाउन का पालन करना बेहद जरूरी, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्यवाही-कलेक्टर यशवंत कुमार

» कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक निकले लॉक डाउन में शहर का जायजा लेने

न्याय साक्षी/रायगढ़। लॉक डाउन के दौरान ढील का समय इसलिए बढ़ाया गया है ताकि दुकानों में एक साथ भीड़ ना हो। लोगों की सुविधा के लिए कुछ और जरूरी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गयी है। किन्तु ढील का समय बढने के बाद यह देखा जा रहा है कि लोग बिना वाजिब कारणों के बाहर घूम रहे हैं। कोरोना संक्रमण का संकट अभी भी बना हुआ है, जिसके रोकथाम के लिए लॉक डाउन का पालन करना बेहद जरूरी है। उक्त बातें कलेक्टर यशवंत कुमार ने बिना कारण बाहर घूम रहे लोगों को समझाते हुए कहीं। कलेक्टर यशवंत कुमार आज पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के साथ शहर में लॉक डाउन में ढील का समय बढ़ने के बाद हालात का जायजा लेने निकले थे। वे सबसे पहले सत्तीगुड़ी चौक पहुंचे। यहां से दुपहिया व चार पहिया वाहन में गुजर रहे लोगों से उनके बाहर निकलने का कार ण पूछा। जिनमें कई लोगों ने चेकअप के लिए अस्पताल जाना, मेडिकल स्टोर, बैंक व बिजली तथा अन्य जरूरी सामान लेने या आवश्यक सेवा से जुड़े कार्य पर जाना बताया गया। जिन्हें उचित प्रमाण दिए जाने पर जाने दिया गया। वहीं कुछ लोग लापरवाही पूर्वक बाहर घूमते मिले। जिनमें एक गाड़ी पर युवक बाहर घूमता मिला, गाड़ी पर प्रतिबंधित काली फिल्म लगी हुई थी। पूछताछ करने पर युवक बाहर निकलने का संतुष्टियक कारण नही बता सका। जिस पर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने तत्काल मौके पर गाड़ी की काली फिल्म उतरवाई और गाड़ी को जप्त कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिए। इसी प्रकार दो युवकों द्वारा आवश्यक कार्य से बैंक जाना बताया गया, किन्तु इस संबंध में वे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही कर सके। उनके विरुद्ध भी गाड़ी जप्ती के साथ प्रतिबंधात्मक धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की गई। इसके साथ ही लोगों को समझाइश भी दी गयी कि लॉक डाउन का पालन किया जाना लोक स्वास्थ्य हित के लिए कितना महत्वपूर्ण व आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने इस मौके पर कहा कि सभी लोग लॉक डाउन को अभी भी पूरी गंभीरता से लें। बेवजह बाहर न घूमें, आने वाले दिनों में ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा, सीएसपी अविनाश ठाकुर, एसडीएम रायगढ़ आशीष देवांगन व पुलिस का अमला मौजूद रहा।

ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों में राहत पहुंचाती स्थानीय पुलिस

न्याय साक्षी/रायगढ़। को थाना लैलूंगा के ग्राम करवारजोर एवं उसके आश्रित गांव में ओला वृष्टि होने से काफी घर छतिग्रस्त हो गए थे। घरो के छत पूरी तरह टूट गए जिससे गांव वाले काफी परेशान दिखे। स्थानीय प्रशासन के साथ पुलिस अधीक्षक रायगढ़, एसडीओपी धरमजयगढ़ तथा लैलूंगा, तमनार, घरघोड़ा, पूंजीपथरा थाना प्रभारियों द्वारा यहां पहुंचे। स्थानीय पुलिस द्वारा सबसे पहले इन गांवों में खाद्य सामाग्री एवं छत को ढकने के लिए पोलीथिन की व्यवस्था कर दिए। पुलिस अधीक्षक कल इन गांव का दौरा कर गांववालों को और मदद पहुंचाने एवं छतों के लिए प्लास्टिक की चादरें व्यवस्था करने को कहा गया था। आज थाना प्रभारी लैलूंगा एवं तमनार द्वारा करीब 60 घरो को प्लास्टिक की चादरें उपलब्ध करायी गई हैं। इसके अलावा ग्राम चिराईखार के करीब 20 परिवार को सुखा राशन दिया गया है। स्थानीय पुलिस के साथ कई और सार्थयवान अपनी नेक कमाई का कुछ हिस्सा ऐसे सामाजिक कार्यो में लगा रहे है जो स्वागत योग्य है।

संक्रमण से बचाव के साथ जरूरतमंदों की हर संभव मदद कर रही कोतरा रोड पुलिस

न्याय साक्षी/रायगढ़। रायगढ़ पुलिस जिले भर में लॉक डाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, कल केवल शहर में बेवजह घूमने वालों पर करीब 400 प्रकरण एम.व्ही.एक्ट के तहत बनाए गए थे। वहीं प्रतिदिन जरूरतमंदों को हर संभव पहुंचा कर पुलिस मानवीयता भी दिखा रही है।

लाक डाउन में पुलिस प्रशासन द्वारा असहाय लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों से भी मदद ली जा रही है। देखा गया है कि पुलिस धार्मिक स्थलों के बाहर फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को चिन्हित कर प्रतिदिन दोनों वक्त भोजन उपलब्ध करा रही है।

इसी बीच थाना प्रभारी कोतरारोड युवराज तिवारी द्वारा कोसमनारा बाबा धाम के निकट मूकबधिर आश्रम में रहने वाले बच्चों को प्रतिदिन दोनों समय पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। आश्रम के लोगों ने कोतरारोड पेट्रोलिंग को बताया गया था कि आश्रम में जलाऊ लकड़ी समाप्त हो गया है तब थाना प्रभारी के कहने पर कोतरा रोड पेट्रोलिंग के प्रधान आरक्षक नरेंद्र यादव व मनोज जोल्हे द्वारा प्रतिदिन आश्रम के बच्चों को दोनों वक्त पका हुआ भोजन उपलब्ध करा रहे थे। आज आश्रम वालों ने लकड़ी की व्यवस्था करने को बोले तो थाना प्रभारी कोतरारोड द्वारा अपने स्टाफ से स्थानीय स्तर पर काफी लकड़ियां आश्रम के लिए उपलब्ध कराई गई है। उनके द्वारा आश्रम के व्यवस्थापक को कहा गया है कि आश्रम के लिए अन्य किसी चीज की आवश्यकता हो तो निसंकोच बताएं।

कोतवाली, सारंगढ़, तमनार और घरघोड़ा थाना में रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी पर गैर जमानती धाराओं पर दर्ज हुए मामले

» देश में धार्मिक उन्माद फैलाने एवं आदेशों का उल्लंघन करने की जिले के कांग्रेस पदाधिकारियों की शिकायत पर हुई कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। आवेदनकर्ता अनिल शुक्ला अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी रायगढ़ (शहर) एवं अरूण मालाकार अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी रायगढ़ (ग्रामीण) द्वारा क्रमशः थाना सिटी कोतवाली एवं थाना सारंगढ़ में लिखित आवेदन देकर रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी के विरूद्ध देश में धार्मिक उन्माद फैलाने एवं वर्तमान में कोविड 19 के संदर्भ में अपने चैनल पर अफवाह या गलत समाचार प्रसारित कर आदेशों का उलंघन करने के संबंध में दिया गया है। थाना कोतवाली में अप.क्र. 320/2020 धारा 153-ए, 295-ए, 505(2) भादवि के तहत एवं थाना सारंगढ़ में अप.क्र. 216/2020 धारा 188 भादवि के तहत दर्ज किये गये है। दिनांक 23.04.2020 को थाना घरघोड़ा, थाना तमनार में भी अर्नब गोस्वामी के विरूद्ध कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा शिकायत दिये गये, शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

जानकारी के मुताबिक न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत टीवी के एडिटर अर्णब गोस्वामी द्वारा अपने कार्यक्रम में कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की और देश को गुमराह किया गया। ऐसी भी जानकारी मिली है कि इन दिनों रिपब्लिक भारत टीवी के एडिटर अर्णब गोस्वामी के द्वारा कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में अमर्यादित टिप्पणी की गई थी जिस पर रायगढ़ जिले के अलग-अलग 4 थानों में कांग्रेस के पदाधिकारियों से शिकायत मिलने पर कई गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है, ये धाराएं अजमानती है।

हत्या की आशंका के चलते महिला के शव को निकालकर किया गया पोस्टमार्टम

न्याय साक्षी/(आरएनएस)। तीन दिन पूर्व एक महिला की मौत हो गई ,उसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ परिजनों करते हुए शव को दफनाया भी गया ।लेकिन उसकी मौत होने के कारणों की शंका करते हुए इसकी जानकारी मुखबिरों के द्वारा छूरा पुलिस विभाग को दिया गया ।जिसे सज्ञान में लेते हुए लाश को पुनः निकलवाकर पोस्टमार्टम कराते हुए जांच किया जा रहा है ।उक्त घटना गरियाबन्द जिला के छुरा थाना क्षेत्र के कोठीगांव का है ।जिसमे मिली जानकारी के आधार पे गांव के रतनलाल यादव की पत्नि गणेशिया बाई की मौत के पश्चात शव को 21 अप्रैल को गड्ढा खोदकर दफ्न कर दिया गया था , जिसमे हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए पुलिस को मुखबिर और ग्रामीणों से जैसे ही मामले की जानकारी मिली तो गुरुवार को छुरा मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में निशानदेही पर शव को जमीन से बाहर निकाला गया, फिलहाल मौके पर ही शव का पीएम किया गया है । छुरा मजिस्ट्रेट, एसडीओपी संजय ध्रुव, थाना प्रभारी राजेश जगत घटनास्थल पर ही मौजूद रहे वही ग्रामीण भी बडी संख्या में मौके पर मौजूद थे, जिसमे अज्ञात आरोपी ने क्यो घटना को अंजाम दिया फिलहाल इसका खुलासा नही हो पाया है, वही पुलिस ने पीएम रिपोर्ट के बाद ही कुछ कह पाने की बात कही है ।अचानक इस तरह की घटना सामने से आने से इलाके में दहशत का माहौल है, मृतिका के पांच बच्चे है।

मुख्यमंत्री बघेल ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री तोमर को लिखा पत्र

»मनरेगा की मजदूरी खाद्यान्न के रूप में भुगतान करने की अनुमति देने का किया अनुरोध

»राज्य में 31.50 लाख सक्रिय परिवारों के 62.52 लाख व्यक्तियों की आजीविका मनरेगा पर निर्भर

»खाद्यान्न सुरक्षा के साथ लॉकडाउन में श्रमिकों को मिलेगी कई समस्याओं से राहत

न्याय साक्षी/(आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण और पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यरत श्रमिकों को मजदूरी भुगतान के रूप में खाद्यान्न प्रदान करने की स्वीकृति देने का अनुरोध किया है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अपने पत्र में लिखा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजनांतर्गत मजदूरी राशि का भुगतान नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम (एनईएफएमएस) के माध्यम से सीधे श्रमिकों के खातों में क्रेडिट होता है। कोरोना वायरस संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए पूरा राज्य लॉकडाउन है। राज्य में 31 लाख 50 हजार सक्रिय परिवारों के 62 लाख 52 हजार व्यक्तियों की आजीविका मनरेगा पर ही निर्भर है। ऐसी स्थिति में प्रभावी लॉकडाउन एवं संक्रमण से बचाव के समस्त साधनों का प्रयोग करते हुए योजना का क्रियान्वयन अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस से बचावों के उपायों सहित मनरेगा योजनांतर्गत कार्य सम्पादित कराये जा रहे हैं तथा वर्तमान में लगभग 5 लाख श्रमिक प्रति दिन नियोजित हो रहे हैं। मजदूरी की राशि क्रेडिट होने के बाद उन्हें अपने भोजन (खाद्यान्न) जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पहले खातों से पैसा निकालने की आवश्यकता होगी, जिससे वे परेशान तो होंगे ही साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में भी कठिनाई होगी। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में बैंक शाखाओं की कमी है, साथ ही नक्सल प्रभावित एवं आकांक्षी जिलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी समस्या है। इस कारण प्रायः लिंक फेल होने जैसी समस्याएं होती हैं, जिसके कारण राशि आहरण हेतु मजदूरों को कई बार बैंक में सम्पर्क करना पड़ जाता है।मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पत्र में लिखा है कि राज्य शासन के पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध है ।

अवैध शराब पर कार्यवाही: 210 लिटर महुआ शराब जप्त

» 5 आरोपियों को भेजा गया जेल, एक मोटर सायकल भी जप्त

» पूंजीपथरा पुलिस की अवैध शराब पर कार्यवाही में 04 आरोपियों से दो मोटरसाइकिलें जप्त

न्याय साक्षी/रायगढ़। एस.पी. रायगढ़ संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन पर जिले में अवैध शराब पर ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी। जिले के थाना सरिया क्षेत्र में थाना प्रभारी अंजना केरकेट्टा के नेतृत्व में सरिया पुलिस द्वारा 05 आरोपियों से 210 लिटर महुआ याराब की जप्ती की गई है। एक आरोपी से उसकी मोटर सायकल को जप्त किया गया है, जिसमें शराब परिवहन किया जा रहा था।

थाना प्रभारी सरिया निरीक्षक अंजना केरकेट्टा द्वारा थाना सरिया क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिये अपने मुखबिरों का जाल बिछाया गया है। ऐसे में ओडिसा की शराब क्षेत्र में खप होने के पहले पुलिस की रेड पड़ जा रही है। कुछ दिनों पहले नदी किनारे बड़ी मात्रा में सरिया पुलिस द्वारा महुआ पास को नष्ट किया गया था। क्षेत्र के रहवासियों को टी?आई? अंजना केरकेट्टा द्वारा विश्वास में लिया गया है कि वे क्षेत्र में ऐसे सामाजिक बुराई का खात्मा जन सहयोग से करेंगी। ऐसे अवैध कार्यों की सूचना मिलने पर तत्काल वे अपनी टीम को लीड कर मौके पर पहुंचकर कार्यवाही करती हैं। दिनांक 22.04.2020 को सरिया पुलिस द्वारा (1) ग्राम दादरपाली तालाब के पास आरोपी जयप्रकाश निषाद पिता मोतीचंद निषाद उम्र 30 वर्ष सा0 साल्हेओना थाना सरिया से 60 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब जप्त। (2) बडे आमाकोनी जंगल भकुर्रा जाने वाला मार्ग में डिस्कवर मोटर सायकल क्रमांक छ्त्त 13 - 8671 में आरोपी अजय कुमार चौहान पिता भोजराम चौहान उम्र 27 वर्ष सा0 साल्हेओना थाना सरिया को 40 लीटर अवैध हाथ भट्ठी का महुआ शराब के साथ पकड़े। (3) ग्राम दादरपाली बजरंगबली मंदिर के पास आरोपी सोगीलाल कोडाकू पिता राजाराम कोडाकू उम्र 40 वर्ष सा0 सकरतुंगा थाना बरमकेला हा0मु0 साल्हेओना थाना सरिया से 50 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त। एवं (4)- ग्राम साल्हेओना के आरोपी पुष्पेन्द्र उर्फ जितेन्द्र सिदार पिता गुलाब सिदार उम्र 19 वर्ष सा0 साल्हेओना थाना सरिया से 40 लीटर कच्ची महुआ की जप्ती की गई है तथा आज दिनांक 23.04.2020 को (5) ग्राम खैरगढ़ी उडिसा रोड जाने वाले रास्ते पर आरोपी विपीन सुना पिता अलाल सुना उम्र 53 वर्ष साकिन खैरगढी थाना सरिया को 20 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब के साथ पकड़ा गया है। इस प्रकार इन कार्यवाहियों में 42,000 रूपये की 210 लिटर महुआ शराब व एक बाईक की जप्ती की गई है , आरोपियों पर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर उन्हें जेल भेजा गया है।

थाना पूंजीपथरा स्टाफ द्वारा भी आज 04 व्यक्तियों से 33 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया है आरोपियों से शराब परिवहन में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। पूंजीपथरा पुलिस द्वारा प्रतिदिन हाईवे के होटल, ढाबों को चेक किया जा रहा है तथा अवैध शराब की सूचना पर लगातार कार्यवाही की जा रही है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480